संख्या:-82/2025/आई909625/001-225आ0-23-5002-002-21-2025
(कम्प्यूटर सं0-1907724)

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-01-051-06-0604-24 "कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार" के अन्तर्गत जनपद इटावा, बांदा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, झांसी, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, कौशाम्बी, उन्नाव, फतेहपुर, एटा, जालौन, मेरठ व बदायूँ के 17 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-01-051-06-0604-24 "कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार" के अन्तर्गत जनपद इटावा, बांदा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, झांसी, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, कौशाम्बी, उन्नाव, फतेहपुर, एटा, जालौन, मेरठ व बदायूँ के 17 कार्यों हेतु आगणन लागत **रू0 787.26 लाख** की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि **रू0 117.85 लाख(रू0 एक करोड़ सत्रह लाख पचासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नांकित तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
				(धनराशि रू0 लाख में)	
1	979बीजीबी/109बीजीबी/का0भ0/नि0ख0-1इटावा/का0यो0/22-23, दिनांक 21.11.2022 एवं 466/79(8)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 24.02.2025	इटावा	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, इटावा के कार्यालय भवन की छत ढ़लाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	29.61	04.40
2	2441/79(17)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 14.02.2025	बांदा	कार्यालय मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम बांदा में मीटिंग हाल का निर्माण कार्य।	50.79	07.60
3	140जी/79(18)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 17.02.2025	अलीगढ़	अलीगढ़ में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के कार्यालय भवन का पुनरूद्धार कार्य।	34.13	05.10
4	379/79(4)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 14.02.2025	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर के कार्यालय भवन परिसर में बाउण्ड्रीवाल एवं गेट का निर्माण कार्य।	09.30	01.40
5	3334/79(7)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 14.02.2025	झांसी	झांसी में नवसृजित मुख्य अभियन्ता(वाह्य सहायतित परियोजना-ई0पी0सी0 मिशन) मुख्यालय, झांसी के कार्यालय हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 19वां वृत्त, लो0नि0वि0, झांसी के पुराने कार्यालय भवन का पुनरूद्धार का कार्य।	29.17	04.35
6	444/79(8)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 24.02.2025	कानपुर नगर	कानपुर नगर में नवसृजित विद्युत/यांत्रिक वृत्तीय कार्यालय को स्थापित करने हेतु पुराने एस0आर0पी0 कार्यालय के पुनरूद्धार का कार्य।	25.00	03.75
7	440/79(6)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 24.02.2025	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ में कार्यालय भवन प्रा0खं0, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ के जीर्णोद्धार का कार्य।	68.43	10.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8	तदैव	गोरखपुर	गोरखपुर में मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय(वि0/याँ0) भवन के निर्माण का कार्य।		257.23	38.55
9	506/79(10)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 28.02.2025	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर में प्रा0खं0 गौतमबुद्ध नगर के कार्यालय भवन का अनुरक्षण/पुनरूद्धार का कार्य।		25.57	03.85
10	तदैव	आगरा	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0, लो0नि0वि0, आगरा की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।		22.95	03.40
11	तदैव	कौशाम्बी	कार्यालय भवन, लो0नि0वि0, मंझनपुर, कौशाम्बी की मरम्मत का कार्य।		17.24	02.55
12	468/79(10)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 03.03.2025	मेरठ	मेरठ में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नि0खं0 लो0नि0वि0, मेरठ परिसर में 01 कमरा एवं 03 शौचालय का निर्माण कार्य।		29.19	04.35
13	478/79(9)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 06.03.2025	उन्नाव	उन्नाव में कार्यालय भवन (अनावासीय भवन) के निर्माण कार्य।		39.57	05.95
14	469/79(2)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 06.03.2025	फतेहपुर	फतेहपुर के लो0नि0वि0 कार्यालय परिसर में स्थित निर्माण खण्ड (प्र0प0) में टीन शेड हटा कर आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य।		37.13	05.55
15	132जी/79(7)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 14.02.2025	एटा	निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, एटा के कार्यालय भवन की छत एवं भवन की मरम्मत का कार्य। **कुल लागत रू0 31.14 लाख।**	सिविल कार्य	27.68	04.15
				विद्युत कार्य	03.46	00.50
16	380/79(7)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 14.02.2025	जालौन	जालौन में निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, उरई के कार्यालय भवन का विस्तारीकरण का कार्य। **कुल लागत रू0 39.23 लाख।**	सिविल कार्य	35.02	05.25
				विद्युत कार्य	04.21	00.65
17	382/79(4)बी0पी0-विंग/2025, दिनांक 04.03.2025	बदायूँ	बदायूँ में निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बदायूँ के कार्यालय भवन की मरम्मत एवं प्रयोगशाला/शौचालय का निर्माण कार्य। **कुल लागत रू0 41.58 लाख।**	सिविल कार्य	33.99	05.10
				विद्युत कार्य	07.59	01.15
योग :-					**787.26**	**117.85**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में प्राप्त बचत की धनराशि को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(5) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रनओवर/टाइम रनओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

(13) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(15) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,17,85,000(रूपये एक करोड़ सत्रह लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059010510604 "कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार" मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या:-82/2025/आई909625/001-225आ0(1)/23-5-2025-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, इटावा, बांदा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, झांसी, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, कौशाम्बी, उन्नाव, फतेहपुर, एटा, जालौन, मेरठ व बदायूँ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा, बांदा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, झांसी, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, कौशाम्बी, उन्नाव, फतेहपुर, एटा, जालौन, मेरठ व बदायूँ।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- मुख्य अभियन्ता(भवन) / (म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, बरेली क्षेत्र, झांसी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, इटावा वृत्त, बांदा वृत्त, अलीगढ़ वृत्त, बरेली वृत्त, झांसी वृत्त, कानपुर वृत्त, प्रतापगढ़ वृत्त, गोरखपुर वृत्त, बुलन्दशहर वृत्त, आगरा वृत्त, प्रयागराज वृत्त, मेरठ वृत्त, उन्नाव वृत्त, बदायूँ/पीलीभीत वृत्त, लोनि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, इटावा।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बांदा।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ़।
14- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, शाहजहांपुर।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, झांसी।
16- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
17- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़।
18- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, गोरखपुर।
19- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गौतमबुद्धनगर।
20- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा।
21- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कौशाम्बी।
22- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ।
23- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उन्नाव।
24- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, फतेहपुर।
25- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, एटा।
26- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, उरई।
27- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बदायूँ।
28- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 / लो0नि0अनु0-10 / श्रम अनु0-2 / गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।